



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल केशकाल
जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़

Telephone & Fax - 07848-259337 E-mail- dfokeshkal@gmail.com



क्रमांक/मा.चि./ 4349
प्रति,

केशकाल, दिनांक 29/6/2018

महाप्रबंधक

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

चौथी मंजिल 401-405

अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड

कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड नंबर 26

मोवा, रायपुर छ.ग. 492007

विषय :-

आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रायपुर का कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.674 हे.वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव

संदर्भ:-

- 1-छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन, रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-7-3/2018/10-2, रायपुर, दिनांक 26.05.2018
- 2-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-647/1853, दिनांक 18.06.2018

- ☀ -

विषयांतर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-7-3/2018/10-2, रायपुर दिनांक 26.05.2018 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोंपरांत एतद् द्वारा कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत 0.674 हे. वनभूमि में ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु महाप्रबंधक रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रायपुर को वनभूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नालिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जाती है :-

- 6-(i) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-7-3/2018/10-2, दिनांक 26.05.2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण की सीमा के बाहर मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में निर्धारित साईज (2 मीटर गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) खंती हेतु अनुमति दी गई है।
- (ii) वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाती है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे -किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।
- (iii) वनभूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।

- (iv) वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा ।
- (v) वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा ।
- (vi) कार्य उपरांत रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खंती की खुदाई के उपरांत समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी ।
- (vii) समतलीकरण का कार्य आवेदक/ आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा ।
- (viii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा ।
- (ix) खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा ।
- (x) यदि आवेदक /आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है, तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व कार्यवाही की जाएगी ।
- (xi) आवेदक /आवेदक संस्थान से लिखित में वचन-पत्र देगे कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य, सरकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें उन्हें मान्य होगी ।
- (xii) प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जावेगा ।
- (xiii) स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी कोपूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सकें ।
- (xiv) आवेदक संस्थान वनमण्डलाधिकारी केशकाल के पूर्वानुमति के बिना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा ।
- (xv) वनभूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तों का पालन किया जाएगा ।
- (xvi) बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को आवेदक संस्था निवेदन करेंगे ।
- (xvii) क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा ।

वनमण्डल कार्यालय मे उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही प्रकरण पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जावेगा। जब तक यह वनमण्डल द्वारा औपचारिक अनुमोदन जारी नहीं किया जावेगा तब तक वनभूमि पर कोई कार्य करने की अनुमति नहीं है।

प्रभारी वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागांव

पृ.कं./मा.चि./ 4350
प्रतिलिपि :-

केशकाल,दिनांक.29/6/2018

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउण्ड फ्लोर (ईस्टर्न बिंग) न्यू सेक्रेटेरियट विल्डिंग व्ही.सी. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन नागपुर(महाराष्ट्रा) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर -19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर 492002 ई-मेल apccf-lm.cg@gov.inकी ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जिलाध्यक्ष जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. उप वनमण्डलाधिकारी फरसगांव एवं परिक्षेत्र अधिकारी फरसगांव सामान्य एवं बडेडोंगर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रभारी वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागांव



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल केशकाल
जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़



Telephone & Fax - 07848-259337 E-mail- dfokeshkal@gmail.com

GSTIN -22AAAGK0512N1ZQ

क्रमांक/मा.चि./ 5226

केशकाल, दिनांक 11/8/2018

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

विषय :- आवेदनकर्ता महाप्रबंधक रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड रायपुर का कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.674 हे.वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय नया रायपुर का पत्र कं./एफ-7-3/2018/10-2, दिनांक 26.05.2018, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) नया रायपुर छ.ग. पत्र कं./भू-प्रबंध/विविध/115-30/1751, दिनांक 07.06.2018 एवं पत्र कं./भू-प्रबंध/विविध/115-647/1853, दिनांक 18.06.2018 तथा इस कार्यालय का सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक/मा.चि./4349, दिनांक 29.06.2018

- ☼ -

निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय नया रायपुर द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनभूमि पर मार्ग के विद्यमान "राइट ऑफ वे" के अंतर्गत भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल के वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में स्वीकृति जारी करने के अधिकार दिये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर निम्नानुसार संलग्न संप्रेषित है:-

क्र.	शर्त	पालन प्रतिवेदन
1	छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-7-3/2018/10-2, दिनांक 26.05.2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण की सीमा के बाहर मार्ग के राइट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में निर्धारित साईज (2मीटर गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) खंती हेतु अनुमति दी गई है।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।

2	वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाती है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे –किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्तका पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
3	वनभूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
4	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
5	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
4	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
5	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
6	कार्य उपरांत रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खंती की खुदाई के उपरांत समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
7	समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
8	समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
9	खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
10	यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है, तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व कार्यवाही की जाएगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
11	आवेदक/आवेदक संस्थान से लिखित में वचन-पत्र देगे कि यदि भविष्य में, भारत सरकार राज्य, सरकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें उन्हें मान्य होगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।

12	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग, परिवर्तित नहीं किया जावेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
13	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सकें।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
14	आवेदक संस्थान वनमण्डलाधिकारी केशकाल के पूर्वानुमति के बिना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
15	वनभूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परागत वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तों का पालन किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
16	बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को आवेदक संस्था निवेदन करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।
17	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है एवं शर्त का पालन किये जाने सम्बन्धी सहमति संलग्न है।

संलग्न :- पालन प्रतिवेदन।




प्रभारी वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागांव
केशकाल, दिनांक 04/08/2018

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ 5227

प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल काम्प्लेक्स नया रायपुर-492002, ई-मेल apccf-lm.cg.gov.in की ओर विषयांकित प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन की एक प्रति सहित सूचनार्थ सम्प्रेषित।

संलग्न :- पालन प्रतिवेदन।



प्रभारी वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागांव

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
केशकाल वनमण्डल, केशकाल,
जिला -- कोण्डागाँव, छत्तीसगढ़

विषय : आवेदनकर्ता महाप्रबंधक रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर द्वारा कोण्डागाँव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु पालन प्रतिवेदन। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / मा. चि / 4394, दिनांक 29/06/2018

महोदय जी,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक / प्रथम चरण स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

कृपया वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें।

धन्यवाद।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(अ. न. सिंह)


महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

वन मंडलाधिकारी
केशकाल वन मंडल
केशकाल
31-7-2018



आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉंव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016


6-i	छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-7-3/2018/10-2, दिनांक 26.05.2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत वन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण की सीमा के बाहर मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में निर्धारित साईज (2 मीटर गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) खंती हेतु अनुमति दी गई है।	मान्य है।
6-ii	वन भूमि व्यपर्वतन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाएगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।	मान्य है।
6-iii	वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।	मान्य है।
6-iv	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	मान्य है।
6-v	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
6-vi	कार्य उपरांत रखरखाव की अनुमति वन मंडलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खन्ती की खुदाई के उपरांत समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।	मान्य है।
6-vii	समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।	मान्य है।
6-viii	समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
6-ix	खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।	मान्य है।
6-x	यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मंडलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व कार्यवाही की जाएगी।	मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

6-xi	आवेदक/आवेदक संस्थान से लिखित में वचन-पत्र लिया जावेगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें मान्य होगी।	मान्य है।
6-xii	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जावेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं की जावेगी।	मान्य है।
6-xiii	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हों सकें तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सकें।	मान्य है।
6-xiv	आवेदक संस्थान वनमण्डलाधिकारी केशकाल पूर्वानुमति के बिना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा।	मान्य है।
6-xv	वनभूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तों का पालन किया जाएगा।	मान्य है।
6-xvi	बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को निवेदन करेंगे।	मान्य है।
6-xvii	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) के संरक्षक/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य नहीं होगा।	मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक - 1

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-7-3/2018/10-2, दिनांक 26.05.2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत वन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण की सीमा के बाहर मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में निर्धारित साईज (2 मीटर गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) खंती हेतु अनुमति दी गई है।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़


आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक - 2

वन भूमि व्यपर्वतन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाएगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉव जिले के केशकाल वनगण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक — 3

वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़


आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (क्रापो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागाँव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक - 4

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

शर्त मान्य है।



(अमन ~~...~~ (क्रापो. अफेयर्स))

महाप्रबंधक (क्रापो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक – 5

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदककर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा काण्डागोंद जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक – 6

कार्य उपरांत रखरखाव की अनुमति वन मंडलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खन्ती की खुदाई के उपरांत समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागोंव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक – 7

समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कापो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागाँव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक – 8

समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कापो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागाँव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन (पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक - 9

खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़


आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागाँव जिले के केशकाल वनगण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक – 10

यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मंडलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व कार्यवाही की जाएगी।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉव जिले के केशकाल वनभण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक -- 11

आवेदक/आवेदक संस्थान से लिखित में वचन-पत्र लिया जावेगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें मान्य होगी।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागोंव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक – 12

प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जावेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं की जावेगी।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागाँव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सौद्धांतिक स्वीकृति रवीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक - 13

स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हों सकें तथा खोदे जा रहे वनभूमि का कंउंहम ब्दजतवस हो सकें।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु 0.674 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार वचन पत्र मय पालन प्रतिवेदन।पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFFICER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक - 14

आवेदक संस्थान वनमण्डलाधिकारी केशकाल पूर्वानुमति के बिना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता न. [REDACTED] उल्लंघन नं. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागॉव
जिले के [REDACTED] ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु
0.674 हे. एन. [REDACTED] प्रस्ताव क सौद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार
वचन नं. [REDACTED] निवेदन संजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक - 16

बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को निवेदन करेंगे।

शर्त मान्य है।



(अ. फे. सी. सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदनकर्ता (अफेयर्स), में. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागाँव
जिले के जंगल अर्न्तगत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल हेतु
0.674 हे. प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति स्वीकृति में अरोपित शर्तों का बिन्दुवार
वचन नं. 17 हेतु आवेदन। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/20475/2016

वचन पत्र

शर्त क्रमांक - 17

क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) के संरक्षक/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य नहीं होगा।

शर्त मान्य है।



महाप्रबंधक (अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़